न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 246/2018

अनवान :

1. किशनलाल
2. मोहरसिंह
3. मोहनलाल
4. नत्थूराम
5. भीमसिंह

पुत्रान दाना उर्फ दानाराम जाति जाट
निवासीगण नुंवा तहसील भादरा
जिला हनुमानगढ (राजस्थान)

– वादीगण

बनाम

1. दाना उर्फ दानाराम पुत्र मूला जाति जाट निवासी नुंवा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
2. पार्वती पुत्री दाना उर्फ दानाराम जाति जाट निवासी नुंवा।
3. रजो पुत्री दाना उर्फ दानाराम जाति जाट निवासी नुंवा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक अनुतोष व रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88, 89 राज0 काश्त0 अधि0 1955
उपस्थिति : वकील श्री अमित देहडू **: वादीगण**
निर्णय **दिनांक : 5.12.18**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा नुवां के खाता सं0 77/66 के खसरा सं0 291/2 की 10.1170 है0, खसरा सं0 340/2 की 9.8640 है0 कुल 19.9810 है0 बारानी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 दाना के नाम खातेदारी दर्ज है जो कि दाना को अपने पिता मूला से विरासतन प्राप्त हुई है। उपरोक्त कृषि भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक व दादालाई सम्पति है। उपरोक्त कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 दाना के साथ साथ वादीगण व प्रतिवादी सं0 2–3 का जन्म से हक व हिस्सा है। उपरोक्त कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 दाना के नाम महज कर्ता खानदान होने के कारण राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रतिवादिया सं0 2 व 3 ने अपना हक व हिस्सा अपने भाईयों वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में बहिस्सा बराबर परित्याग कर अपना हिस्सा शुन्य कर लिया।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जिसे बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया।

साक्ष्य वादीगण में वादी किशनलाल के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी रोही मौजा नूवां खाता सं0 77/66 सम्वत् 2072 से 75 प्रदर्श 1, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग (सैटलमेन्ट) ग्राम नूवां सम्वत् 2019 प्रदर्श 2 व वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि वाद कृषि भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक व दादालाई सम्पति है। उपरोक्त कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 दाना के साथ–साथ वादीगण व प्रतिवादी सं0 2–3 का जन्म से हक व हिस्सा है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादीगण की बहस पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने ग्राम नूवां के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादीगण ने अपने दावा की पुष्टि में जो फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग (सैटलमेन्ट) ग्राम नूवां सम्वत् 2019 प्रदर्श 2

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा (हनु.)

की प्रदर्शित करवाई है उसमें वाद भूमि वादी के दादा मूला वल्द तिलोका के नाम से दर्ज है जिससे वाद भूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना साबित है एंव वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 में दाना उर्फ दानाराम के वारिसान में पत्नि इमरती, पांच पुत्र किशनलाल, मोहरसिंह, मोहनलाल, नत्थूराम, भीमसिंह व दो पुत्रियां पार्वती, रजो होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादीगण साबित है।

अत : वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा नुवां के खाता सं0 77/66 के खसरा सं0 291/2 की 10.1170 है0, खसरा सं0 340/2 की 9.8640 है0 कुल 19.9810 है0 बारानी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 दाना के नाम खातेदारी दर्ज है में अकेले प्रतिवादी सं0 2 दाना के बजाय वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 दाना बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 2 व 3 ने वाद कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग दिया है, इसलिए त्याग किये गये हिस्सा पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 5.12.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर R.A.S.
(फास्ट ट्रेक) भादरा (हनु.)
सहायक कलेक्टर (फास्ट-ट्रेक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 246/2018

अनवान :

1. किशनलाल
2. मोहरसिंह
3. मोहनलाल
4. नत्थूराम
5. भीमसिंह

पुत्रान दाना उर्फ दानाराम जाति जाट निवासीगण नुंवा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)

– वादीगण

बनाम

1. दाना उर्फ दानाराम पुत्र मूला जाति जाट निवासी नुंवा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
2. पार्वती पुत्री दाना उर्फ दानाराम जाति जाट निवासी नुंवा।
3. रजो पुत्री दाना उर्फ दानाराम जाति जाट निवासी नुंवा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री अमित देहडू की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा नुवां के खाता सं0 77/66 के खसरा सं0 291/2 की 10.1170 है0, खसरा सं0 340/2 की 9.8640 है0 कुल 19.9810 है0 बारानी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 दाना के नाम खातेदारी दर्ज है में अकेले प्रतिवादी सं0 2 दाना के बजाय वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 दाना बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 2 व 3 ने वाद कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग दिया है, इसलिए त्याग किये गये हिस्सा पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 5.12.18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़